पत्र संख्या- वैट / विधि -1(1)(08-09)-परिपत्र भाग-2/ 1231/0809106 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)

लखनऊ: दिनॉक: ~~फरवरी~~ 4 मार्च , 09

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008 के नियम-45 के उपनियम-(12-ए) में दिनॉक 30-1-09 को यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे व्यवहारी जिनका किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त रु0 एक करोड़ से अधिक होना सम्भावित है अथवा वर्तमान कर निर्धारण वर्ष के पूर्व कर निर्धारण वर्ष में रु0 एक करोड़ से अधिक रहा हो, वह विभागीय वेवसाइट पर आन लाइन रिटर्न प्रत्येक माह की 20 तारीख तक जमा करेंगे एवं रिटर्न पर डिजिटल हस्ताक्षर न होने की दशा में 07 दिन के अन्दर हार्ड कापी भी अनिवार्य रुप से जमा करेगें।

पत्र संख्या-वैट /विधि -1(1)(08-09) परिपत्र भाग-2-1191/ वाणिज्य कर दिनॉक 20 फरवरी 09 द्वारा व्यापारिक संघों तथा अधिवक्ता संघों की मॉग को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली के नियम 45 के उपनियम- (12-ए) में दिये गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए रु0 एक करोड़ वार्षिक टर्न ओवर से अधिक के व्यापारियों के लिए माह जनवरी 09 का रिटर्न दाखिल करने के लिए पूर्व की भॉति हार्ड कापी भी जमा करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

नियमावली में दिनॉक 30-1-09 द्वारा की गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में रु0 1 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के माह जनवरी, 09 के ऑन लाइन रिटर्न दिनॉक 10 मार्च 09 तक दाखिल कराना सुनिश्चित करें ,ताकि व्यापारी ई-रिटर्न दाखिल करने के अभ्यस्त हो जाये। एक करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले व्यापारी नियम-45 के उप नियम-(12-ए) के तहत अनिवार्य रुप से माह फरवरी 09 का नक्शा ई-रिटर्न के द्वारा ही दाखिल करेगें अन्यथा नियमानुसार अर्थ दण्ड के भागी होगे। यदि ऑन लाइन रिटर्न दाखिल करने में कोई कठिनाई आ रही हो तो उसके सम्बध में विवरण लेकर आगामी मासिक बैठक मे अवगत कराये।

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2 श्री एस0सी0द्विवेदी / श्री यू0सी0दीक्षित, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय लखनऊ।

3 समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/(वि0अनु0शा0)/अपील /कॉरपोरेट/सर्किल/आयल सेक्टर, वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश।

4 समस्त एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर ,मुख्यालय।

5 समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर /डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर , सर्वोच्च न्यायालय कार्य वाणिज्य कर ,गाजियाबाद।

6 ज्वाइन्ट कमिश्नर /डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर इलाहाबाद / लखनऊ।

7 मैनुअल अनुभाग/ सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः5-5 तथा 10 प्रतियॉ।

8 वैट / विधि अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियॉ।

9 समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश।

10 समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर , मुख्यालय।

3/3/09

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर ,